

26.12.18

पञ्चमनी पेश हुई  
अतिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.  
अनुपस्थित  
अतिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप.  
अनुपस्थित  
पत्रावली वास्ते... बहस वि.उ.  
आगामी पेशी दिनांक.....  
को पेश हो। (11.1.19)

11.1.2019

पञ्चमनी पेश हुई। प्रतिवादी कलिकावत उप 1  
उतिवादी सं. 7, 11, 11/3 व 12 कलिकावत उप 1  
उतिवादी सं. 11 श्री राजु देवें पर उ.पञ 022 R 4  
CPL पेश हुआ, उ.पञ पर उ.पञ नदी नदी  
जाता नदी है लीका, किता जाता है उति-8  
11/3 सं 11/3 श्री अरे से श्री सुरेन्द्र सिद्धांत उ.प.न  
वकासतगाता व संशोधित श्रीके पेश किया। वि.  
उ. पर बहस केतिह कुनी गई विभाजन जाना  
पर कोर्ट आपति नही होना चाहिए किया। पञ्च  
वास्तु निरीक्ष दिनांक 18.1.19 को पेश हो। (11.1.19)

18.1.19

पञ्चमनी पेश हुई। उतिवक्ता पत्र उप 1 नदीत जाकर  
वि.उ. पर कोर्ट आपति नही होना है उतिवादी सं.  
4, 7, 8, 11, 12 व 14 का काउन्ट बलेठ डि.प्री किया जाता  
है मूल वाद-पत्र पूरे के मारिच के लुकाई विभाजन  
अनुभव शामिल पञ्चमनी है मनाता विभाजन ल्याप  
इष्टी पेशेतेन पर पक्ष डि.प्री जाती है। पञ्चमनी  
केदना मुकाल होना चाहिए मपुतर श्री पारी

किरेश कुलावत  
(11.1.19)  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

नम्बर  
अहमदाबाद  
हुकूमत  
में जारी


**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़**  
**पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :- 01/2007**

1. सोहनलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
  2. बृजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- वादीगण

**बनाम**

1. हेतराम पुत्र भादर राम उर्फ बहादुर जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. खेतपाल पुत्र भादर राम उर्फ बहादुर जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. लालसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. हरबंश कौर बेवा अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी सरधावाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. ईशर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. कालु पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. जीतराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. साहबराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. भूपराम पुत्र लाधुराम ——— फौत
- 11/1 बादु पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 11/2 राजकुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 11/3 कुलदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. महावीर पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. नोरा बेवा लाधुराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. कृष्ण चन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. जंगीरसिंह पुत्र बिकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. जगतारसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. बलदेवसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. नक्षत्रसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. सुखदेवसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।

  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

20. वीरसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
 21. चतरीदेवी पत्नि स्व. बद्री जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
 22. राजेन्द्र पुत्र बद्री जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
 23. सुखविन्द्रकौर पत्नि अजायबसिंह जाति कुम्हार निवासी दौलतावाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।  
 24. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए

—प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता

प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 18/1/19

उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 14.11.2017 को न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 7, 11/1 से 11/3 व 12 द्वारा दौराने बहस विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया और विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि पत्रावली में तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्तागण वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर दावा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 प.न. 124/195 मु.न. 26 कि.न. 3/0.013, 8/0.013, 11/0.245, 12/0.245, 13/0.245, 18 ता 20/0.759 है 0 कुल 1.520 है 0 आराजी एवं चक 18 एमएमके के खाता सं. 61 प.न. 106/199 मु.न. 53 कि.न. 6/0.253 है 0 का प्रतिवादी सं. 7 कालुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 में प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम एवं प्रतिवादी सं. 12 महावीर प्रसाद ने अपने रकबा पूर्व में खाता विभाजन कर अलग करवा लिया है। इसलिये चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 में से प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम एवं प्रतिवादी सं. 12 महावीर प्रसाद के नाम कलमजन किये जाने के

सहायक कलक्टर  
 एवं उपखण्डाधिकारी  
 हनुमानगढ़

14

आदेश दिये जाते है। चक 18 एमएमके खाता सं. 61 मे प.न. 107/200 मु.न. 56 कि.न. 1, 2/0.506, 3/0.190, प.न. 106/200 मु.न. 57 कि.न. 5, 6/0.506, प.न. 107/199 मु.न. 54 कि.न. 21, 22/0.506, 23/0.114, प.न. 106/199 मु.न. 53 कि.न. 24, 25/0.506, 17/0.126, 18/0.127 है नहरी बारांनी आराजी के प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 18 एमएमके के खाता सं. 61 के प.न. 106/199 मु.न. 53 कि.न. 13 से 16/1.012, 17/0.127, 18/0.126, प.न. 107/199 मु.न. 54 कि.न. 9/0.101, 11/0.253, 12/0.177, 18/0.025, 19/0.253, 20/0.253 कुल 2.327 है 0 आराजी का प्रतिवादी सं. 12 महावीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि रकबा बैक रहन हो तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावें। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.1.19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Original


सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिवक्ता हनुमानगढ़  
हनुमानगढ़

अन्तिम डिक्री  
 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़  
 पीठासीन अधिकारी :- सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)  
 प्रकरण संख्या :- 01/2007

1. सोहनलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. बृजलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
 ---वादीगण

**बनाम**

1. हेतराम पुत्र भादर राम उर्फ बहादुर जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. खेतपाल पुत्र भादर राम उर्फ बहादुर जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. लालसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. बलवीर सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. हरबंश कौर बेवा अवतार सिंह जाति जटसिख निवासी सरधावाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. ईशर पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. कालु पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. जीतराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. साहबराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. भूपराम पुत्र लाधुराम ----- फौत
- 11/1 बादु पत्नि भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 11/2 राजकुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 11/3 कुलदीप कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. महावीर पुत्र लाधुराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
13. नोरा बेवा लाधुराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. कृष्ण चन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
15. जंगीरसिंह पुत्र बिकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. जगतारसिंह पुत्र करनैलसिंह निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।


  
 सहायक कलैक्टर  
 एवं उपखण्ड अधिकारी  
 हनुमानगढ़

17. बलदेवसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
18. नक्षत्रसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
19. सुखदेवसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
20. वीरसिंह पुत्र किकरसिंह जाति जटसिख निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
21. चतरीदेवी पत्नि स्व. बद्री जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
22. राजेन्द्र पुत्र बद्री जाति जाट निवासी धौलीपाल तहसील व जिला हनुमानगढ़।
23. सुखविन्द्रकौर पत्नि अजायबसिंह जाति कुम्हार निवासी दौलतावाली ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
24. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीए  
डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 7, 11/1 से 11/3, 12 पेश होकर हुक्म दिया जाता है व पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 प.न. 124/195 मु.न. 26 कि.न. 3/0.013, 8/0.013, 11/0.245, 12/0.245, 13/0.245, 18 ता 20/0.759 है0 कुल 1.520 है0 आराजी एवं चक 18 एमएमके के खाता सं. 61 प.न. 106/199 मु.न. 53 कि.न. 6/0.253 है0 का प्रतिवादी सं. 7 कालुराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 मे प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम एवं प्रतिवादी सं. 12 महावीर प्रसाद ने अपने रकबा पूर्व मे खाता विभाजन कर अलग करवा लिया है। इसलिये चक 10 एमएमके खाता सं. 76/77 मे से प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम एवं प्रतिवादी सं. 12 महावीर प्रसाद के नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। चक 18 एमएमके खाता सं. 61 मे प.न. 107/200 मु.न. 56 कि.न. 1, 2/0.506, 3/0.190, प.न. 106/200 मु.न. 57 कि.न. 5, 6/0.506, प.न. 107/199 मु.न. 54 कि.न. 21, 22/0.506, 23/0.114, प.न. 106/199 मु.न. 53 कि.न. 24, 25/0.506, 17/0.126, 18/0.127 है नहरी बारानी आराजी के प्रतिवादीगण सं. 11/1 से 11/3 बाधुदेवी पत्नि भूपराम, राजकुमार, कुलदीप कुमार पिसरान भूपराम खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चक 18 एमएमके के खाता सं. 61 के प.न. 106/199 मु.

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

17

न. 53 कि.न. 13 से 16/1.012, 17/0.127, 18/0.126, प.न. 107/199 मु.न. 54 कि.न. 9/0.101, 11/0.253, 12/0.177, 18/0.025, 19/0.253, 20/0.253 कुल 2.327 हे० आराजी का प्रतिवादी सं. 12 महावीर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि रकबा बैक रहन हो तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावें।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ...18/1/19... को जारी किया गया।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़  
हनुमानगढ़